



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2024

जयपुर, दिनांक : 16-02-2024

आज्ञा

श्री संदीप चौधरी, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चुरु) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निलम्बित करने के एतद्वारा तुरंत प्रभाव से आदेश प्रदान करती है।

श्री संदीप चौधरी, आर.ए.एस. का निलम्बन अवधि में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कनिष्क कटारिया) 16/2/2024

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5 श्री संदीप चौधरी, आर.ए.एस. (निलम्बित) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
- 7 कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 कार्मिक (क-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 11 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 12 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव